श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2011 को आहूत आपूर्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

215

(1) उपस्थिति :— यथा पंजी के अनुसार

(2) खाद्यान्न उठाव/वितरण :— जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर के गोदाम में गेहूँ नहीं रहने के कारण माह फरवरी 11 के लिये आवंटित गेहूँ का पूर्ण उठाव नहीं हो पाया तथा मार्च 11 का भी उठाव बाधित है। यह पूछने पर कि माह फरवरी में कितना खाद्यान्न मिलना चाहिए और कितना मिला ? जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा निम्नवत खाद्यान्न उपलब्ध होना बताया गया।

(मात्रा क्वींटल में)

क्र0	माह का नाम	आवंटित खाद्यान्न की मात्रा		पे–इन–स्लीप द्वारा जमा राशि के अनुरूप खाद्यान्न की मात्रा		भा0खा0नि0 से उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा		रा0खा0 नि0 द्वारा ज0वि0प्र0 विक्रेता को वितरित खाद्यान्न की मात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	फरवरी–11 बी0पी0एल0	13084.30	19626.45	11846.84	18770.70	2927.05	16439.09	3911.62	16749.57
	अन्त्योदय	5319.44	7979.16	5379.44	7979.16	3147.31	7200.86	4582.96	6989.66
2.	मार्च–11 बी0पी0एल0	12875.30	19312.95	11842.70	18770.72	432.85	7325.80	शून्य	शून्य
	अन्त्योदय	5296.06	7944.09	5483.10	5300.00	शून्य	4738.40	शून्य	शून्य

उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा के अनुसार सर्वप्रथम अन्त्योदय अन्न योजना का खाद्यान्न उठाव कराने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को दिया गया। जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.03.11 को तिथि से भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर के गोदाम में गेहूँ एवं चावल दोनों की मात्रा शुन्य है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति की सूचना से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को गेहूँ एवं चावल एक साथ ही उपलब्ध कराया जाए।

(3) किरासन तेल :— किरासन तेल उठाव एवं वितरण के समीक्षा के कम मे संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा बताया गया कि किरासन तेल के आवंटन/उठाव एवं वितरण में कोई कठिनाई नहीं है।

इन्हें निदेश दिया गया कि निर्धारित रोस्टर के अनुरूप किरासन तेल का उठाव एवं वितरण अपनी देख–रेख में कराना सुनिश्चित करें तथा हर हाल में कूपन के आधार पर वितरण कराना सुनिश्चित करें।

(4) कूपन/राशन कार्ड वितरण :— वर्ष 2008 में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात संशोधित परिवारिक सूची में से शेष बचे हुए बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 परिवारों के लिए भेजे गये कूपन/राशन कार्ड को इस माह के अन्त तक शत–प्रतिशत वितरण कराने का निदेश दिया गया।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने पर्यवेक्षण में उक्त कूपन का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

(5) अन्नपूर्णा योजना :— अन्नपूर्णा योजना की समीक्षा के कम में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मार्च–11 के अन्त तक वैसे जीवित अन्नपूर्णा लाभुक जिन्हें वृद्धापेंशन स्वीकृत नहीं हुआ है, उन्हें स्वीकृत कर अन्नपूर्णा लाभुकों की संख्या शून्य किया जाए। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 –

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......................./ जि0आ0,दिनांक.......................

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर / डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर / सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 -
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 279 / जि0आ0,दिनांक 28.03.2011

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

28/03/11
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।